न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 741/2022

अनवान : –

1. श्योचन्द पुत्र लीलाधर जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. दुर्गा देवी पुत्री लीलाधर जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. अमरसिंह 3. बनवारी लाल 4. रमेश 5. सुभाष पि0 लीलाधर जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री रामकुमार बैनीवाल **वादी**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 14/12/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में वादी का 1/28, प्रतिवादी स0 1 का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/28 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 5 का 1/28 हिसा तथा लिछमा देवी फौत हो चुकी है जिनका उक्त वाद भूमि में 1/28 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त कृषि भूमि में लिछमा देवी फौत हो चुकी है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 है का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 1 जो की वादी व प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 की बहिन ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 5 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 5 वादी का भाई है जिसने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पे[illegible]ाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 23 एनटीआर खाता संख्या 153 सम्वत 2072–75 प्रदर्श–1, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक लिछमा प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में वादी की माता लिछमा एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 प्रत्येक के 1/28 हिस्सा भूमि दर्ज है। वादी की माता लिछमा का देहान्त हो चुका है। लिछमा के जायज वारिसान मुताबिक सजरा खानदान वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 5 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 वाद भूमि पर काबिज है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में वादी का 1/28, प्रतिवादी स0 1 का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी स0 2 का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी स0 3 का 1/28 हिस्सा, प्रतिवादी स0 4 का 1/28 हिस्सा तथा प्रतिवादी स0 5 का 1/28 हिसा तथा लिछमा देवी फौत हो चुकी है जिनका उक्त वाद भूमि में 1/28 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक लिछमा देवी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 व 5 ने अपना हक त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी के वाद एवं कथनो को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाल जवाब दावा पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। वादी वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही

मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 5 तथा मृतक लिछमा देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 2/20 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रत्येक को 1/20 हिस्सा भूमि के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 741/2022

अनवान : –

1. श्योचन्द पुत्र लीलाधर जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. दुर्गा देवी पुत्री लीलाधर जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. अमरसिंह 3. बनवारी लाल 4. रमेश 5. सुभाष पि0 लीलाधर जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 741 सन 2022 दिनांक 14/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 153/153 की कुल 8.3490 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी स0 1 व प्रतिवादी स0 5 तथा मृतक लिछमा देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 2/20 हिस्सा भूमि का तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 प्रत्येक को 1/20 हिस्सा के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक..14/12/23...को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:39:32 IST
Reason: SelfAttested